

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 508

दिनांक 22/02/2024

प्रार्थी :-

1.जोधाराम 2.गोरधनराम पि.रेसाराम  
जाति मेघवाल  
निवासी मले का तला  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.चिमाराम 2.गेनाराम 3.सांगाराम पि.सुराराम, जाति मेघवाल  
निवासी बावड़ीकला 4.कंवरी पत्नि सखी 5.कस्तुरी पत्नि  
समदाराम 6.गिरधारी पुत्र सखी 7.रमेशकुमार पुत्र समदाराम  
8.आदाराम पुत्र मारका 9.राणा 10.हुकमा 11.हसिया पि.ऊगा  
12.मुगरा 13.भगाना पि.निरभाराम 14.बचू पुत्र सादुला  
15.सजना पुत्र मेहरा, जाति मेघवाल, निवासी बूठ राठौड़ान  
16.चंदूदेवी पत्नि राणाराम, जाति मेघवाल निवासी देदूसर,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 129/2023

दिनांक : 22.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा मले का तला के खेत खसरा सं. 574/43 रकबा 06.9120 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 509 to 512

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी जोधाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चिमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 22/02/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन